रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5—नवम्बर 11, 2016 (कार्तिक 14, 1938)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5—NOVEMBER 11, 2016 (KARTIKA 14, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	837
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	993
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	2427
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1517
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	555
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	2103
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th September 2016

No.U.13019/1/2010-CPD—In supersession of all the earlier notifications on the subject, the President is pleased to re-constitute the Advisory Committee associated with the Minister of Home Affairs for the Union Territory of Daman & Diu. The Advisory Committee shall consist of the following members:-

(a) Administrator, Daman & Diu.

(b) Member of Parliament, Lok Sabha representing the Union Territory.

(c) Two representatives of Municipal Council, Daman & Diu.

(i) President

(ii) Leader of Opposition.

(d) Two representatives of District Panchayat, Daman & Diu.

(i) President

(ii) Leader of Opposition.

(e) Nominated members (Seven) including one woman member and one SC/ST member, representing various interest groups.

(i) Shri Bhagwanbhai M. Machhi, 31, Vivekanand, Diwali Nagar, Nani Daman-396 210

(ii) Shri Ishwar G. Patel, House No. 7/381, Main Road, Moti Daman-396220.

(iii) Shri Vasubhai Patel, House No. 2, Palhit, Bhathaiya, Moti Daman-396220.

(iv) Smt. Falguniben Patel, House No. 768/1, Dungi Faliya, Kachigam, Nani Daman -396210.

(v) Shri Kirit D Vanza, House No. 110, Simar Nayda Opp District Panchayat Office, Diu-362520.

(vi) To be nominated.

(vii) To be nominated.

2. The Joint Secretary (UT) shall be the Member Secretary.

3. The Advisory Committee shall be consulted in regard to the following matters:-

(a) General question of policy relating to the administration of the territory in the State field.

(b) All legislative proposals concerning the territory in regard to matters in the State list.

(c) Such matters relating to the annual financial statement of the Union in so far as it concerns the territory and such other financial questions as to be referred to it by the President.

(d) All development issues concerning the Union Territory..

(e) Internal security related issues.

(f) Any other matter on which it may be considered necessary or desirable by the Minister of Home Affairs that the Advisory Committee should be consulted.

4. The term of members referred to in Clause (e) of para (1) shall be two years. The Committee shall meet once in a year or as the convenience of the Chair/HM. The office of the member of the Advisory Committee shall be honorary and shall not carry any salary or remuneration.

M.V. VIJAYAN
Dy. Secy.

No.U.13019/3/2012-CPD—In supersession of all the earlier notifications on the subject, the President is pleased to re-constitute the Advisory Committee associated with the Minister of Home Affairs for the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli. The Advisory Committee shall consist of the following members:-

(a) Administrator, UT of Dadra & Nagar Haveli.

(b) Member of Parliament, Lok Sabha representing the UnionTerritory.

(c) Two representatives of Municipal Council, Silvassa.

(i) President

(ii) Leader of Opposition.

(d) Two representatives of District Panchayat, Silvassa.

(i) President

(ii) Leader of Opposition.

(e) Nominated members (Seven) including one woman member and one SC/ST member, representing various interest groups.

(i) Shri Sitaram J. Gavali, Ex –M. P, Near Children's Park, Power House Road, Silvassa- 396230.

(ii) Shri Devendrasinh Kalidas Desai, Maa Gayatri Krupa, Main Road Nariman Point, Naroli-396235, UT of Dadra & Nagar Haveli.

(iii) Shri Digvijaysinh I. Parmar, At-Morifalia, Post: Naroli, Station:-Bhilad (W Rly) Dadra & Nagar Haveli, Naroli-396235

(iv) Shri Shankarbhai, D. Waghmare, 187,Bedpa Mulgam, UT of Dadra & Nagar Haveli, Silvassa- 396230.

(v) Ms Ankita A Patel, A1 701, Sai Residency, Behind Surbhi Hotel, Vrindavan Society, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli-396230.

(vi) Shri Hansmukh Bhandari, 11, Gokul Vihar, Khanvel Road, Tokakhanda Samarvami, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli-396 230

(vii) To be nominated.

2. The Joint Secretary (UT) shall be the Member Secretary.

3. The Advisory Committee shall be consulted in regard to the following matters:-

(a) General question of policy relating to the administration of the territory in the State field.

(b) All legislative proposals concerning the territory in regard to matters in the State list.

(c) Such matters relating to the annual financial statement of the Union in so far as it concerns the territory and such other financial questions as to be referred to it by the President.

(d) All development issues concerning the Union Territory.

(e) Internal security related issues.

(f) Any other matter on which it may be considered necessary or desirable by the Minister of Home Affairs that the Advisory Committee should be consulted.

4. The term of members referred to in Clause (e) of para (1) shall be two years. The Committee shall meet once in a year or as the convenience of the Chair/HM. The office of the member of the Advisory Committee shall be honorary and shall not carry any salary or remuneration.

M. V. VIJAYAN
Dy. Secy.

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi–110003, the 4th October 2016

Metadata and Data Standards for Rural Drinking Water and Sanitation

No. 3(95)/2009-EG-II. (Vol-1)—Whereas, Government of India (GoI) is implementing the Digital India programme as an umbrella programme to prepare India for a knowledge based transformation into a digitally empowered society and a knowledge economy. Under the overarching vision of Digital India, GoI aims to make Government services digitally accessible to citizens in their localities and to ensure efficiency, transparency and reliability of such services at affordable costs and

(च) कोई अन्य ऐसा मामला जिस पर गृह मंत्री द्वारा यह आवश्यक या वांछनीय समझा जाए कि सलाहकार समिति से परामर्श लिया जाना चाहिए।

4. पैरा 1 के खंड (ङ) निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। समिति वर्ष में एक बार या अध्यक्ष/गृह मंत्री की सुविधानुसार बैठक करेगी। सलाहकार समिति के सदस्य का पद अवैतनिक होगा और इसके लिए कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं होगा।

एम. वी. विजयन
उप सचिव

सं. यू–13019/03/2012–सीपीडी—इस विषय पर पूर्व की सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए गृह मंत्री से सम्बद्ध सलाहकार समिति को पुनर्गठित करते हैं। इस सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

(क) प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

(ख) इस संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य, लोक सभा।

(ग) नगरपालिका परिषद, सिल्वासा के दो प्रतिनिधि।

(i) अध्यक्ष।

(ii) नेता प्रतिपक्ष।

(घ) जिला पंचायत, सिल्वासा के दो प्रतिनिधि।

(i) अध्यक्ष।

(ii) नेता प्रतिपक्ष।

(ङ) विभिन्न हित समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्य (सात) जिनमें एक महिला सदस्य और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य शामिल है।

(i) श्री सीताराम जे. गवली, पूर्व–संसद सदस्य, चिल्ड्रेन पार्क के नजदीक, पावर हाउस रोड, सिल्वासा–396230

(ii) श्री देवेन्द्रसिंह कालीदास देसाई, मां गायत्री कृपा, मेन रोड नरीमन प्वाइंट, नरोली–396235, दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

(iii) श्री दिग्विजयसिंह आई. परमार, वाया–मोरीफालिया, डाक–नरोली स्टेशन :–भिलाड (पश्चिम रेलवे) दादरा एवं नगर हवेली, नरोली–396235

(iv) श्री शंकरभाई डी. वाघमारे, 187, बेदपा मुल्गम, दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र, सिल्वासा–396230

(v) सुश्री अंकिता ए पटेल, ए1 701, साई रेजीडेंसी, सुरभि होटल के पीछे, वृंदावन सोसायटी, सिल्वासा, दादरा एवं नगर हवेली–396230

(vi) श्री हंसमुख भंडारी, 11, गोकुल विहार, खानवेल रोड, टोकखंडा समरवामी, सिल्वासा, दादरा एवं नगर हवेली–396230

(vii) मनोनीत किया जाना है।

2. संयुक्त सचिव (यू टी) सदस्य सचिव होंगे।

3. निम्नलिखित मामलों के संबंध में सलाहकार समिति के साथ परामर्श किया जाएगा :—

(क) स्टेट फील्ड में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से संबंधित नीति के सामान्य मामले।

(ख) राज्य सूची के मामलों के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी विधायी प्रस्ताव।

(ग) संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण, जहां तक इसका संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है, से संबंधित ऐसे मामले एवं ऐसे अन्य वित्तीय मामले जो राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे जाए।

(घ) संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित में विकास के सभी मुद्दे।

(ङ) आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामले।

(च) कोई अन्य ऐसा मामला जिस पर गृह मंत्री द्वारा यह आवश्यक अथवा वांछनीय समझा जाए कि सलाहकार समिति से परामर्श लिया जाना चाहिए।

122

4. पैरा 1 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। समिति वर्ष में एक बार या अध्यक्ष/गृह मंत्री की सुविधानुसार बैठक करेगी। सलाहकार समिति के सदस्य का पद अवैतनिक होगा और इसके लिए कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं होगा।

एम. वी. विजयन
उप सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली—110003, दिनांक 4 अक्तूबर 2016

ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता के लिए मेटाडेटा और डेटा मानक

सं. 3(95)/2009—ई.शा.—II(वाल्यूम—1)—जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसे तैयार करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। डिजिटल इंडिया के अत्यंत महत्वाकांक्षी विज़न के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य नागरिकों को वहनीय लागतों पर डिजिटल रूप में सरकारी सेवाएं उनके आसपास उपलब्ध कराना और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है और

जैसा कि भारत सरकार किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधाओं से बचने के लिए मुक्त मानकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और

जैसा कि ई—शासन में मानक उच्च प्राथमिकता आधारित गतिविधि है, जो ई—शासन अनुप्रयोगों के बीच सूचना को साझा करने और डेटा की सीमा रहित एवं निर्बाध रूप से अंतरप्रचालनीयता सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार के अंतर्गत एमईआईटीवाई ने ई—शासन के लिए मानक तैयार करने/उन्हें अपनाने के लिए डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है और

जैसा कि ग्रामीण पेयजल के बारे में अवगत कराने के लिए जल और स्वच्छता हेतु मेटाडेटा और डेटा मानक (एमडीडीएस) तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई और

जैसा कि मानकों के लिए सक्षम प्राधिकारी ने ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता के लिए एमडीडीएस को अनुमोदित कर दिया है।

अतः एमईआईटीवाई, भारत सराकर एतदद्वारा इस अधिसूचना की तारीख से विभिन्न ई—शासन प्रणालियों के बीच डेटा के आदान—प्रदान (विनियमय) के लिए http://egovstandards.gov.in पर प्रकाशित ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता हेतु मेटाडेटा और डेटा मानक (एमडीडीएस) के इस्तेमाल को अधिसूचित करती है।

डी. के. सागर
उप निदेशक

दिनांक 18 अक्तूबर 2016

भारतीय मानक — संवर्धित इंस्क्रीप्ट की—बोर्ड ले—आऊट—आईएस 16350:2016

सं. 3(37)/2014—ई.जी.—II(वाल्यूम—I)——जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसे तैयार करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। डिजिटल इंडिया के अत्यंत महत्वाकांक्षी विज़न के अंतर्गत भारत सरकार का उद्देश्य नागरिकों को वहनीय लागतों पर सरकारी सेवाएं उनके आस—पास डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। यदि ई—शासन अनुप्रयोगों के स्थानीकरण के माध्यम से नागरिक सुविधा और सूचना का अभिगम अपनी भाषा में कर पाएं तो इसे और अधिक गति प्रदान की जा सकती है, और

जैसा कि ई—शासन अनुप्रयोग तथा प्रणालियों के विकास के समय भारतीय भाषा पाठ संसाधन के लिए यह जरूरी है कि की—बोर्ड ले—आउट का एक अच्छा मानक होना चाहिए, और

जैसा कि यूनिकोड में 21 भारतीय भाषाओं के प्रतिनीधित्व के साथ 16 बिट यूनिकोड आईएसओ 10646 से इंस्क्रीप्ट की—बोर्ड अपनाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने "संवर्धित इंस्क्रीप्ट की—बोर्ड — आईएस 16350:2016" के नाम से भारतीय मानक प्रकाशित किया है: और

जैसा कि ई—शासन डोमेन के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी ने बीआईएस द्वारा जारी मानक आईएस 16350:2016 को अनुमोदित कर दिया है और अपनाया है।

अब यह मंत्रालय अधिसूचना की तारीख से सभी ई—शासन प्रणालियों के लिए तैयार संवर्धित इंस्क्रीप्ट की—बोर्ड ले—आउट — आईएस 16350:2016 के प्रयोग को अधिसूचित करता है। यह मानक भारतीय मानक ब्यूरो से सीधे प्राप्त किया जा सकता है।

डी. के. सागर
उप निदेशक